# फर्द अहकाम

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

**प्रार्थी : राज्य सरकार** **विपक्षी : रा.उ.प्रा.वि. भरोड़ी**

**किस्म मुकदमा – 131, 133 भू.राजस्व अधिनियम** **पत्रावली संख्या : 87/25**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
| --- | --- | --- |

दिनांक : 05.06.2025

पत्रावली पेश हुई। राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार घासा द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 789/1 रकबा 10.0341 हैक्टेयर भूमि के मध्य में रा.उ.प्रा.वि. भारोड़ी को आवंटित खसरा नम्बर 781/1 एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित खसरा नम्बर 788/1 स्थित है। मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी है जो मध्य में होने से आराजी नम्बर 789/1 उपयोग में नही आ रही है। उक्त दोनो आराजीयात को संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम संशोधित की जाये तो आराजी नम्बर 789/1 रकबा 10.0341 हैक्टेयर में से 3.5000 हैक्टेयर आरसीडीएफ को बायपास प्रोटीन पशु आहर संयंत्र हेतु आवंटित की जा सकती है। अंत में निवेदन किया की तहसील क्षेत्र में सड़क पहुंच एवं समतल भूमि उपलब्ध नहीं होने से रा.उ.प्रा.वि. भारोड़ी को आवंटित खसरा नम्बर 781/1 एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित खसरा नम्बर 788/1 को संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम शुद्धि कराया जाना अपेक्षित है। जिससे बजट घोषणा में आरसीडीएफ को बायपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र हेतु आराजी नम्बर 789/1 रकबा 10.0341 हैक्टयर में से 3.5000 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की जा सके।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम भारोड़ी पटवार हल्का वारणी तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 140 पर दर्ज आराजी नम्बर 788/1 रकबा 0.8600 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षीत, एवं खाता संख्या 137 पर दर्ज आराजी नम्बर 781/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि रा.उ.प्रा.वि. भारोड़ी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनो आराजीयात की तरमीम आराजी नम्बर 789/1 के मध्य कर दी गई है। जिससे आराजी नम्बर 789/1 का रकबा पृथक–पृथक हो गया है। वर्तमान में बजय घोषणा आरसीडीएफ को बायपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र हेतु भूमि आवंटन की जानी थी परन्तु उक्त आराजीयात की तरमीम मध्य में होने से भूमि आवंटन नही हो पा रही है। वर्तमान में मौके पर भूमि खाली होकर पड़त है। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही कर रखा है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त वर्णित भूमि की तरमीम बिलानाम भूमि के मध्य में होने से बिलानाम भूमि का उपयोग नही हो पा रहा है। मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य भी नही किया हुआ है। वर्तमान में आरसीडीएफ को बायपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र हेतु भूमि का आवंटन भी उक्त तरमीम मध्य में होने से नही हो पा रहा है। इसलिए उक्त भूमि की तरमीम तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू– राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भारोड़ी पटवार हल्का वारणी तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 140 पर दर्ज आराजी नम्बर 788/1 रकबा 0.8600 हैक्टयर एवं खाता संख्या 137 पर दर्ज आराजी नम्बर 781/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:17 IST
Reason: SelfAttested

तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:17 IST
Reason: SelfAttested